संख्या-120/2025/388/25-27-सिं0-4-/001-ई-1905631

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ:दिनांक: 25 मार्च, 2025**

विषय: जनपद मैनपुरी में घिरोर स्केप की पुनर्स्थापना के कार्यों की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1923/1848/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 24.02.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मैनपुरी में घिरोर स्केप की पुनर्स्थापना के कार्यों की परियोजना लागत रू0 48.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक 4700-97-051-10-14-24 राज्य वित्त पोषित नई सिंचाई परियोजना हेतु एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 12500.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष धनराशि से रू0 48.10 लाख (रुपये अड़तालीस लाख दस हजार मात्र) परियोजना के कार्यों हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

2- प्रायोजना पर मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभाग का होगा।

3- प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रबन्धन वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5- स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रायोजना पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

6- स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाक घर/डिपाजिट में न रखी जाय।

7- प्रायोजना पर नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रमख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- परियोजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज की धनराशि समय-समय पर स्वीकत/अवमक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय पर वित्त (लेखा) अनभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस 2011-17(4)/75, दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 में निहित दिशा-निर्देशों एवं वित्त (लेखा) अनभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/ 2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों पर 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

11- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेत कार्यदायी संस्था द्वारा आवश्यकतानसार धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी। उक्त परियोजना हेत अवमक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024/231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं वित्तीय हस्तपस्तिकाओं के ससंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनरूप किया जाएगा।

12- परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक/गणवत्ता का दायित्व सम्बन्धित मख्य अभियन्ता का होगा। उनके द्वारा यह सनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत गणवत्ता के साथ पर्ण कर लिए जाएं।

13- कार्य पर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे तथा प्रश्नगत परियोजना हेत अवमक्त की गयी धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-8 पर वित्त विभाग एवं शासन को प्रतिमाह निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 48,10,000 (रुपये अडतालीस लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4700970511014 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या-120/2025/388/25-27-सिं0-4-/001, दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, कानपुर।
7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मैनपुरी।
8- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/नियोजन अनुभाग-3
10- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चन्द्र भूषण
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।